



Neutral Citation No. - 2026:AHC:11103

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 44788/2025

दीपक कुमार

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याची के अधिवक्ता: अली हसन, इस्तियाक अली

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: अविनाश चंद्र श्रीवास्तव, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. याची ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रार्थना के साथ वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की है:-

"1. परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 2 को निर्देशित किया जाए कि वह जाँच करने के पश्चात, अनुमति आदेश दिनांक 30.04.2005 और 05.03.2008 को निरस्त करने हेतु दिए गए याची के प्रत्यावेदन दिनांक 08.11.2025 (रिट याचिका का अनुलग्नक संख्या 10) को इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर तय करें।"

2. कुछ तर्कों के पश्चात, याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना की गई कि वर्तमान याचिका को 'बल न देने' (नो प्रेसिड) के आधार पर खारिज कर दिया जाए।
3. रिट याचिका 'बल न देने' के आधार पर खारिज की जाती है।
4. यह स्पष्ट किया जाता है कि याची को इस न्यायालय के समक्ष नई याचिका दायर करने की कोई स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई है।
5. रजिस्ट्रार (अनुपालन) को निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश की प्रति एक सप्ताह के भीतर जिला मजिस्ट्रेट, आगरा को प्रेषित करें।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

16 जनवरी, 2026

ऐमन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"